महत्वपूर्ण एवं खास

10 आईएएस व 01 आईपीएस का तबादला: हटाए गए सूरजपुर कलेक्टर, कोरबा निगम आयुक्त बस्तर कोरबा में रिक्त हुआ जिला सीईओ और निगम आयुक्त का पद

कोरबा (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है। इसमें दो जिलों कलेक्टर भी शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश के अनुसार रवि मित्तल को जनसंपर्क विभाग का नया आयुक्त बनाया गया है। सूजरपुर कलेक्टर रोहित व्यास का जशपुर तबादला कर दिया गया है, उन्हें सीएम के गृह जिले का कलेक्टर बनाया गया है। दूसरी तरफ इस तबादला आदेश के बाद अब कोरबा जिला में निगम आयुक्त की भी कुर्सी खाली हो जाएगी। इसके पहले जिला पंचायत सीईओ संबित मिश्रा का भी तबादला कर दिया गया। उनके स्थान पर शासन ने नई पदस्थापना नहीं दी है प्रभारी सीईओ के तौर पर निगम आयुक्त प्रतिष्ठा ममगाई प्रभार संभाल रही थीं। अब निगम आयुक्त का भी तबादला कर दिए जाने से और उनके स्थान पर नई पदस्थापना नहीं होने से जिला सीईओ व निगम आयुक्त की कुर्सी खाली हो जाएगी। देखना होगा कि इन दोनों महत्वपूर्ण पदों पर शासन किनकी पदस्थापना कब तक करता है।

दक्षिण का दंगल, अब तक 10 अभ्यर्थियों ने दर्ज किया नामांकन

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर नगर (दक्षिण) उप निर्वाचन-2024 अंतर्गत अभी तक दस उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। कल यानी 22 अक्टूबर को निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में नंदिनी नायक, रवि भोई, सैय्यद मुस्लीम, मो. नासीर मोहम्मद, रिजवाना, जुगराज जगत, राईट टू रिकाल पार्टी से चम्पालाल पटेल ने अपना नामनिर्देशन पत्र जमा किया। उल्लेखनीय है कि रायपुर नगर (दक्षिण) उपनिर्वाचन 2024 के लिए उम्मीदवार 25 अक्टूबर 2024 तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। शासकीय अवकाश दिवसों को छोडक़र कार्यालयीन दिवसों में प्रात: 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। प्राप्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा 28 अक्टूबर को की जाएगी। उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नामाकंन वापस ले सकेंगे।

बच्चों से भरी स्कूल वैन नदी में गिरी

जांजगीर-चांपा (आरएनएस)। सक्ति जिले से बड़ी खबर सामने आई हैं। यहां एक स्कूल वैन अनियंत्रित सोन नदी जा गिरी। हादसे के दौरान वैन में 15 बच्चें सवार थे। आसपास मौजूद ग्रामीणों की मदद से सभी बच्चों को बाहर निकाला गया। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना हसौद थाना क्षेत्र के पिसौद गांव की है। बताया जा रहा हैं कि स्कूल वैन पीसौद से हसौद आने वाली सोनदी डेम में पलटा है। बताया जा रहा है सभी बच्चे और ड्राइवर सही सलामत है, कोई जनहानि नहीं हुई है, ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सभी बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।

मुख्यमंत्री ने 40 स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों को 24 लाख का चेक प्रदान किया

जशपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय बगिया में फरसाबहार विकास खंड के जोरण्डाझरिया की 4 स्व सहायता समूह की महिलाओं को 6--6 लाख के मान से 40 महिलाओं सदस्यों को रोजगार करने के लिए 24 लाख का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय महिलाओं को रोजगार से जोडऩे के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं। महिलाएं सब्जी की खेती और व्यापार आचार पापड़,रेशम विभाग के कोषा कार्य और अन्य रोजगार से जुडक़र आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यूको बैंक की नई शाखा फरसाबहार विकास खंड के जोरण्डाझरिया में खोला गया है। बैंक महिलाओं को स्वरोजगार से जोडऩे के लिए सार्थक प्रयास कर रहे हैं।

दपूमरे के 159 स्टेशनों में हुई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग

❐ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति

रायपुर। आरएनएस

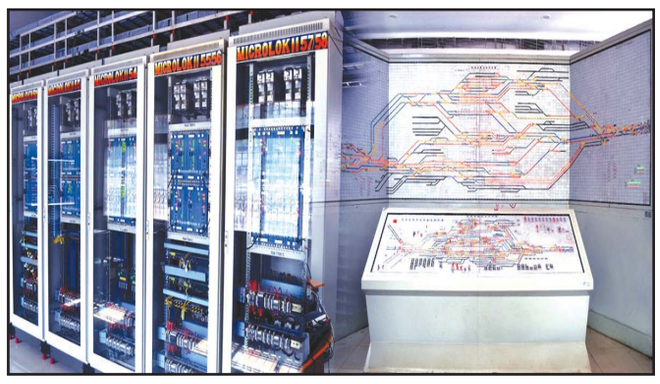

संरक्षित रेल परिचालन को सुनिश्चित करने हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली के विस्तार में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अब तक कुल 159 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 22 स्टेशनों को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग करने का लक्ष्य है, जिसमे 06 स्टेशनों को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की जा चुकी है। शेष स्टेशनों पर भी भविष्य में यह आधुनिक प्रणाली स्थापित की जाएगी। वर्तमान समय में इस परियोजना को प्रधान मुख्य सिग्नल और दूरसंचार इंजीनियर के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में नई तकनीकों को अपनाकर रेल संचालन को अधिक सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय बना रहा है। यह नई तकनीक रेलवे संचालन में सुरक्षा और दक्षता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करती है, जिससे यात्री और माल परिवहन को एक नई दिशा मिली है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली सिग्नलिंग तकनीक में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, जो विभिन्न रेल मार्गों पर गाडिय़ों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करती है। यह प्रणाली पुरानी यांत्रिक और रिले आधारित इंटरलॉकिंग प्रणालियों की जगह लेती है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को नई तकनीकों जैसे कि स्वचालित सिग्नलिंग और कवच (स्वदेशी ट्रेन टकराव रोधी प्रणाली) के साथ आसानी से एकीकृत किया जा सकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के आधार पर लागू किया जा रहा है, जिससे रेल परिचालन क्षमता और संरक्षा दोनों में सुधार हो रहा है। यह भविष्य की प्रौद्योगिकियों के साथ रेल प्रणाली को और अधिक उन्नत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की विशेषताएँ

1. उच्च स्तरीय सुरक्षा : इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली में डिजिटल तकनीक का उपयोग होता है, जिससे मानवीय त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है। वहीं पैनल और रिले इंटरलॉकिंग में मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ सकती है। इसमें मैन्युअल हस्तक्षेप नहीं होने के कारण गलती होने की संभावना बेहद कम हो जाती है।

2. कम स्थान की आवश्यकता : पैनल/रिले इंटरलॉकिंग प्रणाली में बड़े पैनलों, अधिक रिले रैक और तारों की आवश्यकता होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली में सॉफ़्टवेयर और न्यूनतम हार्डवेयर की जरूरत होती है, जिससे यह कम स्थान लेता है।

3. रियल-टाइम मॉनिटरिंग : इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली वास्तविक समय में सिग्नल, ट्रैक और ट्रेन मूवमेंट की निगरानी करने की सुविधा देती है, जिससे किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सकता है।

4. रख-रखाव में कम लागत : पुराने सिस्टम की तुलना में इस प्रणाली के रखरखाव में कम समय और कम लागत लगती है। पैनल और रिले इंटरलॉकिंग में कई बार तकनीकी खराबियों के चलते उच्च रखरखाव की आवश्यकता होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली स्वचालित होती है और इसे कम रखरखाव की जरूरत होती है।

5. दीर्घकालिक लागत बचत : पैनल/रिले इंटरलॉकिंग के मुकाबले, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की शुरुआती लागत अधिक हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में यह अधिक लागत प्रभावी होती है, क्योंकि इसके रखरखाव में कम लागत होती है।

6.विस्तार में आसानी : इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में भविष्य के उन्नयन और विस्तार के लिए अधिक लचीलापन होता है साथ ही नई तकनीकों जैसे कि स्वचालित सिग्नलिंग और कवच (स्वदेशी ट्रेन टकराव रोधी प्रणाली) के साथ आसानी से एकीकृत किया जा सकता है, जबकि पारंपरिक प्रणालियों में यह काफी जटिल और महंगा होता है।

मेसर्स रूपणाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड के कारखाने में सुरक्षा उपकरणों की कमी पर स्लैग कशर में निर्माण प्रक्रिया को किया गया प्रतिबंधित

❐ श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण प्रदान के दिए गए निर्देश

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा रायगढ़ द्वारा गत दिवस मेसर्स रूपणाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में स्लैग क्रशर में सुरक्षा आवरण की कमी और श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण नहीं प्रदान किए जाने की कमियां पाई गई। जिस कारण कारखाने में श्रमिकों की सुरक्षा को खतरा है। उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ने कारखाने के अधिभोगी और प्रबंधक को स्लैग क्रशर में सुरक्षा आवरण और श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाने तक उत्पादन कार्य को प्रतिबंधित रखे जाने हेतु निर्देशित किया है।

उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायगढ़ एवं उप मुख्य कारखाना निरीक्षक छ.ग.शासन रायगढ़ मनीष कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 अक्टूबर 2024 को मेसर्स रूपणाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम सराईपाली, पो.गेरवानी, तह-तमनार, जिला-रायगढ़ का रैण्डम पद्धत्ति के तहत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कारखाने में स्थापित स्लैग क्रशर में स्थापित बेल्ट कन्वेयर की टेलपुली एवं हेडपुली को सुरक्षा आवरण से सुरक्षित किये बगैर चलाया जाता पाया गया। बेल्ट कन्वेयर को आपात स्थिति में रोकने के लिये पुलकाड लगा नहीं पाया गया। स्लैग क्रशर में कार्यरत श्रमिकों को सेफ्टी शूज, नोज मास्क व इयर प्लग का प्रयोग किये बगैर कार्यरत पाया गया। उक्त स्थिति में कारखाने में स्थापित स्लैग क्रशर में कार्यरत श्रमिको की कार्य के दौरान गंभीर दुर्घटना घटित होना संभावित है।

कारखानें का निरीक्षण करने के पश्चात वहां मौजूद खतरनाक कार्यदशाओं को दृष्टिगत रखते हुए उप संचालक श्रीवास्तव द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40 (2) में प्रदत्त शक्तिओं का उपभोग करते हुए कारखाने के अधिभोगी संजय कुमार पांडे एवं कारखाना प्रबंधक बलराम प्रधान को कारखाने में स्थापित स्लैग क्रशर में निर्माण प्रक्रिया तब तक प्रतिबंधित करने के लिये निर्देशित किया गया कि जब तक कि स्लैग क्रशर में स्थापित समस्त बेल्ट कन्वेयर की टेलपुली व हेडपुली को सुरक्षा आवरण से सुरक्षित नहीं कर लिया जाता है, स्लैग क्रशर में कार्यरत सभी श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेफ्टी शूज, नोज मास्क, इयर प्लग, हेलमेट आदि प्रदान कर इनका प्रयोग किया जाना सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता है तथा इस बाबत् कारखाना निरीक्षक के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है।

युवक ने फांसी लगाकर दी जान

बिलासपुर-रायपुर। आरएनएस

मल्हार थाना क्षेत्र के ग्राम कारियाताल नेवारी स्थित एक मकान में एक युवक की फांसी पर लटकती लाश देख गांववाले सकते में आ गए। तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मुख्य मार्ग स्थित ग्राम सोनी सुमन का घर है। इसी मकान में गांव में रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। सुबह करीब 6 बजे ग्रामीणों ने देखा कि सोनी सुमन के बाड़ी में लगे कौहा पेड़(अर्जुन पेड़) पर ग्राम कारियाताल नेवारी निवासी दीपक सिंह ठाकुर (मोनू) पिता उदय सिंह उम्र लगभग 30 वर्ष की लाश पेड़ से लटकती मिली है जो पेड़ में रस्सी के सहारे झूल रहा था। वही अंदाजा लगाया जा रहा है कि सोनी सुमन के घर के आंगन में कपड़ा सुखाने वाले रस्सी को काट पेड़ से बांध फांसी पर झूल गया होगा जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना डायल 112 को दी जिसके बाद मौके पर पहुंची डायल 112 और मल्हार पुलिस आगे की जांच कार्यवाही में जुट गई है। वही मृतक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। मृतक ने अपने घर से 200 मीटर दूर किसी दूसरे के घर में आत्महत्या क्यों किया पुलिस इसकी जांच कार्यवाही में जुट गई है। वही शव को पोस्टमार्टम हेतु मस्तूरी भेज दिया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट होगी कि युवक की मौत किन परिस्थितियों से हुई है।

पुलिस को देख भाग रहे थे गांजा तस्कर, गिरफ्तार

रायपुर। आरएनएस

पुलिस से बचने भाग रहे तस्करों की कार सडक़ से उतरकर पलट गई। कार सवार गांजा तस्कर पुलिस से बचने के लिए भागने लगे। इधर पीछे लगी पुलिस की टीम ने भाग रहे दो लोगों को पकड़ लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने गांजा मंगाने वाली महिला और उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया है। चारों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग एक कार में कोरबा की ओर से गांजा लेकर तखतपुर की ओर जा रहे हैं। इस पर अधिकारियों ने रतनपुर और सकरी पुलिस को घेराबंदी के निर्देश दिए। सकरी और रतनपुर पुलिस की टीम ने काठाकोनी घोंघा नाला के पास घेराबंदी की। पुलिस की घेराबंदी को देखकर कार सवार वाहन मोडक़र भागने लगे। इसी हड़बड़ी में तस्करों की कार सडक़ से उतरकर नाले में पलट गई। कार पलटने के बाद तस्कर वाहन छोडक़र भागने लगे। इधर तस्करों के पीछे लगे जवानों ने भी उनके पीछे दौड़ लगा दी।जवानों ने भाग रहे विष्णु चंद्रा उर्फ बबलू(42) निवासी आमगांव जिला सक्ती और सोहन साहू उर्फ गोलू(22) निवासी पेंड्री नवागढ जिला जांजगीर-चांपा को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि तखतपुर में रहने वाली महिला कांति उर्फ काजल(36) और उसके पति प्रदीप पांडेय(46) ने गांजा मंगाया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की कार और 16 किलो गांजा जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। एसपी रजनेश सिंह ने नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के पकड़े जाने पर उनके संपत्ति की जांच के निर्देश दिए हैं। सकरी थाना प्रभारी दामोदर मिश्रा ने बताया कि पकड़े गए आरोपित की संपत्ति की जांच कराई जाएगी। अवैध गतिविधियों से कमाई गई संपत्ति को विधिवत कुर्क कराया जाएगा।

ग्राम बसनाझर में अवैध शराब निर्माण पर खरसिया पुलिस की कार्यवाई, 10 लीटर महुआ शराब और सामग्री जब्त

रायगढ़

22 अक्टूबर 2024 को निरीक्षक कुमार गौरव साहू, थाना प्रभारी खरसिया के नेतृत्व में खरसिया पुलिस टीम ने अपराध, शिकायत जांच, एवं माइनर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए ग्राम भ्रमण किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बसनाझर के निवासी धरमराज पटेल अपने घर के पीछे स्थित एक झोपड़ी नुमा कमरे में अवैध रूप से शराब निर्माण कर रहा है।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गवाहों के साथ संदेही के घर की घेराबंदी कर छापेमारी की। मौके पर संदेही धरमराज पटेल को चूल्हे पर 30 लीटर क्षमता वाले दो सिल्वर बर्तनों में शराब बनाते हुए पाया गया। आरोपी के कब्जे से 5 लीटर तैयार महुआ शराब और 5 लीटर प्लास्टिक जरीकेन में भरी हुई महुआ शराब, कुल 10 लीटर महुआ शराब (कीमत लगभग रु.2000/-) और 3 सिल्वर बर्तनों को जप्त किया गया। इसके साथ ही, मौके पर महुआ लहान को नष्ट कर दिया गया।

आरोपी धरमराज पटेल, पिता भरतलाल पटेल, उम्र 45 वर्ष, निवासी बसनाझर, थाना खरसिया के खिलाफ धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की गई है। निरीक्षक कुमार गौरव साहू के हमराह शराब रेड कार्रवाई में सउनि लक्ष्मी राठौर, प्र.आर. सरोजनी राठौर, आरक्षक विशोप सिंह, प्रदीप तिवारी, मनोज कुमार भारती और हीरामणी पाटले सम्मिलित थे।

फेमस यूट्यूबर रवि शर्मा ने थाने से बनाया वीडियो, पुलिस पर धमकी और मारपीट का आरोप, एसपी ने लिया संज्ञान

रायपुर। आरएनएस

छत्तीसगढ़ी डिजिटल क्रिएटर और फेमस युट्यूबर रवि शर्मा ने थाने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. इस वीडियो में रवि शर्मा पुलिस पर जबरन थाने लाने, धमकी देने, गाली देने और मारपीट करने का आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है.

रवि शर्मा का आरोप है कि बीती रात मठपुरैना स्थित पान ठेला, जो कि मेरे बड़े पिता जी का है. मैं वहां बैठा हुआ था. रात के करीब 11 बजे रहे होंगे. पेट्रिलिंग पुलिस टीम मौके पर पहुंची. महेश नेताम आरक्षक ने करीब 400 रुपये का समान लिया, लेकिन पैसे नहीं दिया. मैंने पैसे की मांग की तो गाली देते हुए धमकी देने लगा. मैंने विरोध किया तो मेरे साथ मारपीट करते हुए मुझे पकडक़र थाने ले आए. थाने में लाने के बाद सीधे लॉकअप में डाल दिया. कुछ देर बाद जब मेरे घर वाले और दोस्त आए और मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो मुझे थाने से छोड़ा गया.

रवि शर्मा ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों का व्यवहार इस तरह का रहेगा तो हम जैसे लोगों की सुरक्षा का क्या होगा ? इस घटना से समाज में क्या संदेश जाएगा. पुलिसकर्मियों का मैं दिल से इज्जत करता हूं. इसके कई वीडियो मेरे ब्लॉग पर मिल जाएंगे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने जो कुछ मेरे साथ किया वह अत्यंत दु:खद. मैं इस घटना आहत हूं. आरक्षक महेश नेताम को अपने कृत्य पर माफी मांगनी चाहिए और उच्च अधिकारियों इसे गम्भीरता से लेनी चाहिए.

वहीं इस मामले की सूचना पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह तक पहुंच गई है. उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच कराई जा रही है. मामले को गम्भीरता से लिया जा रहा है. शिकायत सही पाए जाने पर जरूर कार्रवाई होगी.

बता दें कि रवि शर्मा छत्तीसगढ़ का फेमस युट्यूबर, डिजिटल क्रिएटर और फिल्म कलाकार है. सुपर शर्मा ब्लॉग के नाम से अपना फेसबुक पेज चलाते हैं. 2023 में सरकार की ओर उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है.

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

ट्रक चालक को लूटने वाले दो युवक 24 घंटे में गिरफ्तार

धमतरी। आरएनएस

शहर की सीटी कोतवाली पुलिस ने ट्रक चालक के साथ मारपीट कर उसे लूटने वाले आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी आदतन बदमाश है जिनके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज है।

मिली जानकारी के अनुसार ग्राम मोहनी थाना रामपुर नेकिन जिला सीधी (म.प्र.) का रहने वाला ट्रक चालक मोहम्मद आजाद अंसारी पिता मो.रजा अंसारी उम्र 31 वर्ष अपना ट्रक क्रमांक एमएच 37 डब्ल्यू 1100 को धमतरी से आमदी जाने के मार्ग पर धमतरी में रत्नाबांधा रोड पर स्थित श्रीगोपाला अस्पताल के पास खड़ी कर दवाई लेने गया था। जहां से वह वापस अपने ट्रक में आया और जैसे ही बैठा वैसे ही दो युवक उससे लिफ्ट लेने के बहाने जबरदस्ती ट्रक में चढ़ गये तथा चालक को गालिया देकर, हाथ मुक्के से मारपीट किया साथ ही चालक के जेब में रखे पर्स को लूट लिय जिसमे 8 हजार रूपये नगदी रकम थे। आरोपियों में से एक ने ट्रक की चाबी को ट्रक से निकाल लिया और दोनों लुटपाट कर भाग गये। घटना में प्रार्थी के गला, नाक, चेहरे में चोट आने की प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली धमतरी में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना सिटी कोतवाली द्वारा विवेचना के दौरान प्रार्थी, गवाहों का कथन एवं घटना स्थल का निरीक्षण एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर तत्काल आरोपी अभिषेक मीनपाल व नोहर यादव को हिरासत में लेकर कड़ाई पुछताछ कर बयान लिया गया। जिसमें आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए लुट की रकम को आपस में बांटना व पर्स तथा ट्रक की चाबी को हटकेशर देशी शराब भट्टी के पास झाड़ी में फेंक देना बताया। जिसके बाद पुलिस ने पर्स तथा ट्रक की चाबी को बरामद कर लिया। मामले में आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में धारा 296,309 (6) बीएनएस के तहत वैधानिक कार्यवाही कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बता दें कि उक्त दोनों आदतन आरोपी हैं। जिनके विरुद्ध थाना कोतवाली में चोरी,लूट, एवं मारपीट की पांच और पूर्व में भी प्रकरण दर्ज हैं।